BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 28 अगस्त, 2024 　　 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** 　　 थाना सिकन्द्राबाद

प्रोपर्टी डीलर की हत्या की घटना में वांछित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद।

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 27/28.08.2024 की रात्रि में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम व स्वाट टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गस्त में मामूर थी, इसी दौरान गुलावठी अण्डर पास फ्लाईओवर के पास प्रोपर्टी डीलर यामीन की हत्या की घटना में प्रयुक्त बाइक यामाहा एफजेडएस पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। जिसको रूकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त बाइक को तेजी से भगाने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो नार्मल स्कूल के पास ग्राम कावरा जाने वाली सड़क पर बदमाश को घेर लिया गया। जिस पर बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान शाकिर पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 कम्बूवान कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्ध नगर के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बदमाश शाकिर दिनांक 25.08.2024 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत मौ0 काजीवाड़ा निवासी प्रोपर्टी डीलर यामीन पुत्र अकबर की हत्या में शामिल था। जिसके सम्बंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-666/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत है जिसमें उक्त हत्यारोपी की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- शाकिर पुत्र अब्दुल शकूर निवासी मौ0 कम्बूवान कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2- 01 घटना में प्रयुक्त काले रंग की यामाहा एफजेडएस बाइक (बिना नम्बर)।

अभियुक्त शाकिर का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-687/19 धारा 323/324/325 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
2- मुअसं-410/20 धारा 302/34 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
3- मुअसं-412/20 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
4- मुअसं-666/24 धारा 103(1) थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।
2- निरीक्षक श्री अरजेश कुमार
3- है0का0 विपिन जावला, का0 रोहित कुमार, का0 रजत, का0 नितेश व का0 रविन्द्र प्रताप।

स्वाट टीम-

1- उ0नि0 श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम।

2- है0का0 कपिल नैन, है0का0 राहुल त्यागी, है0का0 मनीष त्यागी, का0 सचिन चौहान, का0 नरेंद्र कुमार, का0 रोहित कुमार, का0 अमित कुमार।

मीडिया सेल बुलंदशहर